[2019] 4 एस. सी. आर. 617

एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड।

वी.

स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड।

(2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 540)

फरवरी 20,2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 48- दलों ने प्रवेश किया

गैर-बासमती उबले चावल, थाईलैंड मूल की बिक्री के लिए अलग-अलग अनुबंधों में-जी. ए. एफ. टी. ए. 48 द्वारा शासित अनुबंध और विवादों को लंदन में जी. ए. एफ. टी. ए. 125 के अनुसार मध्यस्थता 125 द्वारा हल किया जाना था।

विवाद उत्पन्न हुआ-मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दो अलग-अलग पुरस्कार पारित किए -

प्रत्यर्थी ने विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के अधिनियम के भाग-II के तहत दो निष्पादन मामले (अनुबंध-I और अनुबंध-II से संबंधित) दायर किए-विषय विदेशी पुरस्कारों की रखरखाव के बारे में याचिकाकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया गया।

विशेष अवकाश याचिकाएँ (अनुबंध-I और II से संबंधित)

-

याचिकाकर्ता-बर्खास्त-एकल न्यायाधीश ने निष्पादन याचिका में कहा कि विषय विदेशी पुरस्कारों को फरमान माना जाता था और इसलिए लागू करने योग्य-डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-तब याचिकाकर्ता

ब

र्खास्त किया गया -

निष्पादन मामले में दायर समीक्षा आवेदन याचिकाकर्ता ने संबंधित निष्पादन मामलों में जी. ए. दायर किया, आपत्ति जताते हुए

विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता-अस्वीकार-अपील पर, अभिनिर्धारित की गईः निष्पादन मामले की स्थिरता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा पहले दौर में आग्रह किए गए आधार नहीं हो सकते थे विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के मुद्दे पर अलग से विचार किया जाता है-एस की योजना। 48 कल्पना नहीं करता है

विदेशी पुरस्कारों से संबंधित निष्पादन मामले की स्थिरता के मुद्दे पर, सबसे पहले, टुकड़ों में विचार; और फिर उसकी प्रवर्तनीयता का मुद्दा-विषय आवेदन

याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका खारिज किए जाने के योग्य है, जिसे रचनात्मक अदालत द्वारा प्रतिबंधित किया गया है-प्रतिवादी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित होने के बाद राशि के हिस्से को निकालने की अनुमति दी गई थी।

विषय विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के संबंध में उच्च न्यायालय में जमा किए गए, याचिकाकर्ता ने उसके बाद तीन दिनों के भीतर कंपनी का नाम बदलने में कोई समय नहीं गंवाया-याचिकाकर्ता ने अपना पंजीकृत कार्यालय का पता भी बदल दिया और याचिका दायर करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी., कोलकाता प्रत्यर्थी को विषय पुरस्कारों के फल का आनंद लेने से रोकने के लिए, और दायर याचिका में ऐसा बेशर्मी से कहना

इसके द्वारा यू / आई एंड बी संहिता की धारा 10-याचिकाकर्ता का आचरण इस न्यायालय तक पहुँचने के प्रयास का संकेत है-उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधारों के हर पहलू पर विचार किया और इस तरह व्यक्त किया गया विचार एक संभावित दृष्टिकोण है-संबंधित निष्पादन मामले के क्रेडिट में जमा की गई एफ. डी. को भुनाने के लिए प्रतिवादी पंजीयक (ओ. एस.), कलकत्ता उच्च न्यायालय को 00,000/- की अनुमानित लागत का भुगतान किया जाए और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने के बाद, अमेरिकी डॉलर में उपार्जित ब्याज सहित पूरी राशि को प्रतिवादी को तुरंत भेज दिया जाए।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 10.

विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़नाः 1.1 याचिकाकर्ता का तर्क है कि पहले के अवसर पर, आपत्तियां प्रश्नों तक सीमित थीं

असमर्थनीय आधार पर विदेशी पुरस्कार। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई औपचारिक आवेदन दायर नहीं किया था निष्पादन मामले की स्थिरता लेकिन न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से "सभी उपलब्ध आधारों" का आग्रह करने की अनुमति दी थी। न्यायाधीश ने तब पाँच बिंदुओं को पुनः प्रस्तुत किया था, जिन पर याचिकाकर्ता की ओर से उसके वकील के माध्यम से मौखिक रूप से आग्रह किया गया था। उच्च न्यायालय ने उक्त आधारों की जांच की, जो स्पष्ट रूप से विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के दायरे से परे थे। इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 48 के दायरे के संदर्भ में कानून के प्रश्नों और आधारों को भी स्पष्ट किया था, जिसमें विदेशी विषय की प्रवर्तनीयता शामिल थी।

पुरस्कार। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश तिथि 17 मार्च, 2015 के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया था कि विषय विदेशी पुरस्कारों को फरमान माना जाता था, जो यह मानता है कि वे लागू करने योग्य थे। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपीलों का निपटारा करते हुए डिवीजन बेंच द्वारा उस आदेश को बरकरार रखा गया। ये आदेश अंतिम हो गए हैं और एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड।

वी. अच्छी तरह से सोने वाले उद्योग

सीओ। लिमिटेड।

याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने इसके बाद असफल रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा के उपाय का सहारा लिया। यहां तक कि पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश भी अंतिम हो गया है। [पैरा 13] [638-डी-एच; 639-ए]

1.2 निष्पादन मामले की स्थिरता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा पहले दौर में आग्रह किए गए आधार नहीं हो सकते थे विदेशी पुरस्कारों के विषय की प्रवर्तनीयता के मुद्दे पर अलग से विचार किया गया। क्योंकि, यह आंतरिक रूप से विदेशी विषय की प्रवर्तनीयता के सवाल से जुड़ा हुआ था।

पुरस्कार। किसी भी मामले में, उस संबंध में याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध सभी दलीलों को विशेष रूप से उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था और यदि उठाया जाता, तो उस स्तर पर ही न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती थी। अधिनियम की धारा 48 की योजना में रखरखाव के मुद्दे पर टुकड़ों में विचार करने की परिकल्पना नहीं की गई है

विदेशी पुरस्कारों से संबंधित निष्पादन मामला, और फिर उनकी प्रवर्तनीयता का मुद्दा। जबकि, मध्यस्थता के त्वरित निपटान के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए

कार्यवाही और अदालतों द्वारा सीमित हस्तक्षेप, न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वह इन दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार करेगा। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के लिए लगातार और कई दौर की कार्यवाही को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से निपटने के दौरान विशेष रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के घोषित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के संबंध में विधायिका द्वारा हस्तक्षेप का दायरा जानबूझकर सीमित कर दिया गया है। इसलिए, विषय याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन खारिज किए जाने के योग्य है, जिसे रचनात्मक न्यायपालिका द्वारा वर्जित किया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में उचित रूप से देखा गया है। [पैरा 14] [639-बी-एफ]

1.3 याचिकाकर्ता का आचरण इस न्यायालय तक पहुँचने के प्रयास का संकेत है। के लिए, एक अंतरिम आदेश पारित होने के बाद

प्रतिवादी के पक्ष में, जमा की गई राशि के कुछ हिस्से को निकालने की अनुमति देते हुए, याचिकाकर्ता ने 23 अप्रैल, 2018 को तीन दिनों के भीतर कंपनी का नाम बदलने में कोई समय नहीं गंवाया। याचिकाकर्ता ने 26 अप्रैल, 2018 को अपने पंजीकृत कार्यालय का पता भी बदल दिया और प्रत्यर्थी को [2019] 4 एस. सी. आर. से रोकने के लिए 27 अप्रैल, 2018 को एन. सी. एल. टी., कोलकाता को स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं थी।

विषय पुरस्कारों के फल का आनंद लेते हुए, और आई एंड बी कोड की धारा 10 के तहत दायर याचिका में ऐसा बेशर्मी से कह रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिवादी द्वारा एक औपचारिक आवेदन दायर करके इन तथ्यों पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था। याचिकाकर्ता ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, बहुत कम प्रशंसनीय। इस मामले में भी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं। [पैरा 15] [639-जी-एच; 640-ए-बी]

1.4 याचिकाकर्ता के किसी अन्य तर्क की जांच नहीं की गई, जिसमें विदेशी विषय की प्रवर्तनीयता के गुण शामिल हैं।

पुरस्कार। भले ही ऐसा किया जाता, हम उच्च न्यायालय से सहमत होते कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन आधारों का आग्रह किया गया था विदेशी पुरस्कारों के विषय की प्रवर्तनीयता पर सवाल हैं

असमर्थनीय, अधिनियम की धारा 48 के दायरे में नहीं होना। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधारों के हर पहलू पर विचार किया है और उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए प्रत्येक बिंदु के संदर्भ में इस प्रकार व्यक्त किया गया विचार एक संभावित दृष्टिकोण है। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों के मामले में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश को सही ढंग से नोट किया है। उच्च न्यायालय ने न्यायसंगत रूप से नोट किया है कि

याचिकाकर्ता को निष्पादन अदालत से पुरस्कार पर फिर से विचार करने का आह्वान करना था। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी के दावे को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत किए गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को निर्णय में जोड़ा गया है और निर्णय में प्राप्त निष्कर्ष इस पर आधारित हैं -

उक्त दस्तावेजों को दी गई व्याख्या और अर्थ। कि

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचाराधीन निर्णय में दर्ज की गई चर्चा और निष्कर्षों से समझा जा सकता है।

[पैरा 16] [640-बी-एफ]

1.5 मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सभी पहलुओं पर विचार किया है

मामला और यहां तक कि अगर उसने कोई त्रुटि की है, तो भी वह, अंग्रेजी कानून के तहत अनुमेय आधारों पर अपील के माध्यम से सुधार का विषय हो सकता है, जिसके द्वारा विषय मध्यस्थता कार्यवाही शासित होती है। यह नहीं समझा जा सकता है कि न्यायालय ने उन मुद्दों की शुद्धता पर कोई राय व्यक्त की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुकरणीय लागतों के लिए राशि, कुल राशि एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड पर निर्धारित की गई है।

वी. अच्छी तरह से सोने वाले उद्योग

सीओ। लिमिटेड।

आज से छह सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को Rs.20,00,000/- (केवल बीस लाख रुपये) का भुगतान किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पंजीयक (ओ. एस.) को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित निष्पादन मामले के क्रेडिट में जमा की गई एफ. डी. को तुरंत भुनाने के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के बाद। अनुमति के तुरंत बाद, अमेरिकी डॉलर में उपार्जित ब्याज सहित पूरी राशि प्रत्यर्थी को भेज दें। वह आज से आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट

दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया गया

इसके बाद। भारत में किसी भी अन्य न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश की परवाह किए बिना, उपरोक्त निर्देशों का पालन कलकत्ता उच्च न्यायालय के पंजीयक (ओएस) द्वारा किया जाएगा। [पारस 17-19] [646-D-H; 647-A]

श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोजेटो ग्रानो एसपीए (2014) 2

एससीसी 433: रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं. (1994) 1 पूरक। एससीसी 644: [1993] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 22; तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम। देखा।

पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705 [2003] 3 एससीआर 691 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2014) 2 एस. सी. सी. 433

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 एससीआर 691

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(सिविल) 2018 की सं. 540।

2016 के जी. ए. सं. 3306 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.08.2017 के निर्णय और आदेश से

के साथ

2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5493।

ए. के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विकास सेठी, सनंदा मुखर्जी, दीपक

गोयल, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राकेश सिन्हा, पिनाकी अड्डी, शैलेंद्र जैन, चिरारंजन अड्डी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था ए. एम. खानविलकर, जे. 1. ये विशेष अवकाश याचिकाएं

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 22 अगस्त, 2017 को जी. ए. No.3306/2016 में ई. सी. No.487/2013 में और जी. ए. No.3307/2016 में क्रमशः ई. सी. No.488/2013 में पारित निर्णय और आदेशों से निकलता है। विशेष अनुमति याचिकाएं प्रतिवादी-पुरस्कार धारक द्वारा दो अलग-अलग विदेशी पुरस्कारों के संबंध में दायर दो निष्पादन याचिकाओं से संबंधित हैं। चूँकि इन दोनों याचिकाओं में उठाए गए प्रश्न परस्पर व्याप्त हैं,

एक ही जवाब एक साथ दिया जा रहा है।

"अन्य शर्तों" में अनुबंध की परिकल्पना की गई है कि अनुबंध की निर्धारित शर्तों के विपरीत नियमों और शर्तों पर जी. ए. एफ. टी. ए. 48 द्वारा शासित किया जाएगा और विवादों को लंदन में जी. ए. एफ. टी. ए. 125 के अनुसार मध्यस्थता 125 द्वारा हल किया जाएगा। खरीदार ने अलग-अलग तारीखों पर ऋण पत्र खोले थे और माल विक्रेता द्वारा भेज दिया गया था। प्रत्येक माल के लिए, विक्रेता द्वारा अनुबंध के परिशिष्ट के अनुसार चालान जारी किए गए थे। अनावश्यक विवरणों से भरा हुआ, चाहे यह ध्यान दिया जाए कि चावल की घटिया गुणवत्ता और कुछ शिपमेंट के संबंध में विक्रेता द्वारा उठाए गए चालान के लिए भुगतान जारी न करने के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हुए, जो अंततः इसका विषय बन गया। मध्यस्थता कार्यवाही। प्रत्यर्थी ने 28 जुलाई, 2011 को मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और अंततः श्री आर. बार्बर को मध्यस्थता खंड के रूप में नियुक्त किया।

मध्यस्थ। चूंकि याचिकाकर्ता जवाब देने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी ने अनुरोध किया जी. ए. एफ. टी. ए. जी. ए. एफ. टी. ए. मध्यस्थता नियम 125 के अनुसार उनकी ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। जी. ए. एफ. टी. ए. ने श्री आर. एकेल को विधिवत नियुक्त किया

22 सितंबर, 2011 को दूसरा मध्यस्थ। 25 जून, 2012 को जी. ए. एफ. टी. ए. ने श्री सी. डेबटिस्टा को तीसरे मध्यस्थ और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। 3. प्रत्यर्थी ने अनुबंध-आई एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित दो स्वतंत्र मध्यस्थता कार्यवाही में दिनांक 11 मई, 2012 को अपने दावे प्रस्तुत किए।

वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक पारित किया 4 दिसंबर, 2014 के निर्णय और आदेश के माध्यम से विषय विदेशी पुरस्कारों की रखरखाव के संबंध में कथित रूप से आपत्ति को खारिज करने वाले उक्त निष्पादन मामलों में सामान्य आदेश। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई हलफनामा या औपचारिक दाखिल नहीं किया

निष्पादन मामले का विरोध करने के लिए आवेदन, लेकिन अदालत के समक्ष केवल अपने वकील के माध्यम से मौखिक रूप से आपत्तियां उठाने का विकल्प चुना। एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को नोट किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि

यह संतुष्ट होना चाहिए कि विदेशी पुरस्कार प्रवर्तनीय था और उस संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 48 को देखते हुए, पुरस्कार को न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने फिर पाँच को दर्ज किया

याचिकाकर्ता की ओर से अपने वकील के माध्यम से की गई आपत्तियाँ, जो इस प्रकार हैं:

" पहली आपत्ति यह है कि आवेदन में घोषणा के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है कि विदेशी पुरस्कार लागू करने योग्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक पुरस्कार के प्रवर्तन के बारे में घोषणा की मांग करने के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है, तब तक न्यायालय यह नहीं मान सकता है

अधिकार क्षेत्र। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील ने टोप्फर इंटरनेशनल एशिया प्राइवेट के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले का उल्लेख किया है। लिमिटेड बनाम थापर इस्पात लिमिटेड, 2000 (1) अरब में रिपोर्ट किया गया। एल. आर. 230 (बॉम्बे) अनुच्छेद 19।

दूसरी आपत्ति यह है कि पक्षों के बीच एक दीवानी मुकदमा लंबित है जिसमें दोनों [2019] 4 एस. सी. आर. द्वारा एक स्पष्ट अवलोकन है।

विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने कहा कि वाद के लंबित रहने के दौरान वाद के पक्षों द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई वाद के परिणाम के अधीन होगी और उसका पालन करेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिक्री-धारक द्वारा एक क्रॉस अपील को प्राथमिकता दी गई थी और यह

विद्वान एकल न्यायाधीश के अवलोकन में हस्तक्षेप नहीं किया गया था और तदनुसार निष्पादन आवेदन अपरिपक्व है और जब तक कि

मुकदमा तय हो जाता है, पुरस्कार अपनी अंतिमता को प्राप्त नहीं करता है।

तीसरी आपत्ति यह है कि मध्यस्थता खंड नहीं किया गया है

ठीक से लागू किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता खंड एक है दो-स्तरीय खंड। इससे पहले कि मध्यस्थता खंड को लागू किया जा सके, पक्षों को पहले अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करना आवश्यक है और केवल विफलता पर, पक्ष अपने विवादों को सुलझा सकते हैं।

चावल के लिए जी. ए. एफ. टी. ए. खंड के अनुसार मध्यस्थता के लिए विवाद और

चौथी आपत्ति यह है कि भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि इस सौहार्दपूर्ण समझौते का पालन नहीं किया गया था, फिर भी नियुक्ति के संबंध में नियम 3.1 का पालन नहीं किया गया था। एकमात्र मध्यस्थ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिक्री धारक पर यह दायित्व था कि वह प्रतिवादी को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में सूचित करे और यह केवल इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करने पर था कि नियमों के तहत निर्धारित अन्य प्रक्रियाएं

पाँचवाँ और अंतिम आपत्ति यह प्रतीत होती है कि प्रत्यर्थी के नामित मध्यस्थ को जी. ए. एफ. टी. ए. नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया था और तदनुसार अपनाई गई प्रक्रिया हैः शुरू से ही अनियमित है और पुरस्कार लागू करने योग्य नहीं है।

5. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर उल्लिखित आपत्तियों को खारिज कर दिया कि विधायी इरादा एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड है।

वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायालय की पर्यवेक्षी भूमिका को सीमित करना था और यह सीमित हस्तक्षेप की भविष्यवाणी करता था।

इसके अलावा, इसने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां निराशा के दलदल में थीं और उक्त याचिका की स्थिरता की दिशा में डाली गई किसी भी वास्तविक चुनौती के बजाय एक प्रवर्तनीय पुरस्कार की प्रवर्तनीयता का विरोध करने का एक हताश प्रयास था। ये अवलोकन प्रासंगिक होंगे क्योंकि विशेष अवकाश में

4 दिसंबर, 2014 के उक्त सामान्य फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं में कानून के सवाल और व्यक्त किए गए आधार याचिकाकर्ता द्वारा विषय विदेशी पुरस्कारों के संबंध में की गई आपत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं प्रवर्तनीय या अन्यथा होना। 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.5612 (अनुबंध-I से संबंधित) में आग्रह किए गए कानून और आधारों के प्रश्न इस प्रकार हैं:

" कानून के प्रश्नः

कि आम और जनता के कानून के निम्नलिखित प्रश्न

उनके माननीय न्यायालय के विचार के लिए महत्व उत्पन्न होता हैः i) क्या निष्पादन कार्यवाही में कोई आदेश पारित किया जा सकता है।

न्यायालय के समक्ष यह निर्णय लेने और घोषित करने के लिए कहा जाता है कि

क्या पुरस्कार लागू करने योग्य है?

(ii) क्या विदेशी पुरस्कार को लागू करने की मांग करने से पहले पुरस्कार धारक द्वारा विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता के बारे में कोई घोषणा की जानी चाहिए? iii) क्या एक विदेशी पुरस्कार जो एक मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होता है, जिसे उचित रूप से स्थापित दीवानी मुकदमे में चुनौती दी गई है, मुकदमे की सुनवाई और निपटान से पहले निष्पादित किया जा सकता है।

का?

(iv) क्या पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न विदेशी निर्णय को लागू करने की मांग करने से पहले मध्यस्थता खंड का वैध और उचित आह्वान एक पूर्व-आवश्यकता है?

v) चाहे द्विस्तरीय मध्यस्थता तंत्र में हो, इसके लिए आगे बढ़ने से पहले प्रथम स्तर (यानी बातचीत) को समाप्त करना आवश्यक है।

माली संदर्भ शुरू करें?

vi) क्या निष्पादन न्यायालय विदेशी अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में घोषणा किए बिना अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर सकता है।

पुरस्कार?

(vii) क्या अपीलार्थी द्वारा दायर दीवानी मुकदमे के परिणाम से पहले विदेशी पुरस्कार का निष्पादन समयपूर्व था?

(viii) क्या मध्यस्थता खंड का आह्वान अधिनिर्णय-धारक द्वारा ठीक से किया गया था?

ix) क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विदेशी पुरस्कार देते समय जी. ए. एफ. टी. ए. मध्यस्थता नियमों के नियमों, सिद्धांतों और व्यवहार को सही ढंग से लागू किया? x) क्या कोई पुरस्कार-धारक पहले निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना विदेशी पुरस्कार के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है।

1996 के अधिनियम की धारा 48 में?

xi) क्या किसी विदेशी पुरस्कार को केवल मूल पुरस्कार और मध्यस्थता समझौते की विधिवत प्रमाणित प्रति पेश करने पर लागू करने योग्य कहा जा सकता है?

xii) क्या विदेशी पुरस्कार का विरोध करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 48 के तहत औपचारिक आवेदन दायर करना आवश्यक है या

विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता के बारे में आपत्तियां अन्यथा भी की जा सकती हैं?

xiii) क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 49 का सहारा 1996 के अधिनियम की धारा 48 में निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट किए बिना लिया जा सकता है?

xiv) क्या निष्पादन न्यायालय ठीक से स्थापित दीवानी मुकदमे के लंबित होने के बावजूद निष्पादन की सहायता के लिए कोई आदेश पारित कर सकता है जो एक कथित विदेशी पुरस्कार के आधार को चुनौती देता है?

xvi) क्या विदेशी पुरस्कार की निष्पादन क्षमता का निर्णय पुरस्कार देनदार को अपना हलफनामा दायर करने की अनुमति दिए बिना या किसी कथित विदेशी पुरस्कार का बचाव करने के लिए लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज किए बिना किया जा सकता है? xvii) क्या याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर गौर किए बिना किसी कथित विदेशी पुरस्कार पर भरोसा करने वाले पक्ष के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है?

जे इंटरनेशनल लिमिटेड। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मैदान

क) इसके लिए विवादित आदेश कानून और तथ्यों में असमर्थनीय है

ख) इसके लिए याचिकाकर्ता को अपना हलफनामा दायर करने या विदेशी पुरस्कार की निष्पादन क्षमता पर अपनी आपत्ति लिखित रूप में रखने का कोई अवसर दिए बिना विवादित आदेश पारित किया गया है। ग) इसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभाव की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

डिवीजन बेंच द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए माननीय उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अवलोकन और निष्कर्ष पहले से स्थापित दीवानी मुकदमे से उत्पन्न होता है।

ङ) इसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर अपना हलफनामा दायर करने और विदेशी पुरस्कार की निष्पादन क्षमता पर लिखित रूप में अपनी आपत्ति उठाने के लिए कहने में विफल रहने में गलती की? च) इसके लिए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 18.09.2014 के आदेश के संदर्भ में दायर बैंक खातों का खुलासा करने वाले हलफनामे में याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत ही निराशाजनक तस्वीर दी गई है।

छ) इसके लिए उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि डिक्री-धारक/प्रतिवादी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47 और 48 में निर्धारित परीक्षण को पूरा या संतुष्ट नहीं किया था।

ज) इसके लिए उच्च न्यायालय इस उद्देश्य की सराहना करने में विफल रहा और

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का दायरा और कानून और वास्तव में स्वयं को गलत साबित किया।

i) इसके लिए उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि विवादित आदेश कठिनाई और असुविधा पैदा करेगा और याचिकाकर्ता के दिन-प्रतिदिन के कार्य को प्रभावित करेगा।

जे) इसके लिए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि याचिकाकर्ता को मामले से निपटने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

निष्पादन कार्यवाही की स्थिरता। "[2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका 27 फरवरी, 2015 को खारिज कर दी गई। इसी तरह, याचिकाकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका, 2015 की एसएलपी (सी) No.6682 (अनुबंध-II से संबंधित जिसमें समान प्रश्न और आधार शामिल हैं), 17 अगस्त, 2015 को खारिज कर दी गई थी। 7. बाद में, जब मामला निष्पादन याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष आगे बढ़ा, तो न्यायालय ने कहा कि उसने पहले ही 4 दिसंबर, 2014 के अपने पहले के आदेश में कहा था कि विषय विदेशी पुरस्कारों को फरमान माना जाता था और इसलिए

प्रवर्तन योग्य, निष्पादन याचिका की स्थिरता के संबंध में दोनों मामलों में याचिकाकर्ता की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को अपने प्रधान अधिकारी से पूछताछ करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने 17 मार्च, 2015 के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील की, जिसे 1 दिसंबर, 2015 के सामान्य आदेश के माध्यम से डिवीजन बेंच द्वारा निपटाया गया। इन आदेशों को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता ने फिर एक समीक्षा दायर की

निष्पादन मामले में आवेदन। 8 जून, 2015 को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि समीक्षा आवेदन उस मामले को फिर से खोलने की एक चाल थी जिसे विशेष अनुमति याचिकाओं की अस्वीकृति के बाद अंतिम रूप दिया गया था। पुनरीक्षण आवेदन की अस्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता को जी. ए. दाखिल करने की सलाह दी गई।

अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के संबंध में आपत्तियां उठाने के उद्देश्य से संबंधित निष्पादन मामलों में Nos.3306/2016 और <ID2। हम उल्लेख कर सकते हैं

जी. ए. No.3306/2016 में उन आधारों के बारे में दायर आवेदन जिसके आधार पर विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के संबंध में आपत्ति को फिर से उठाया गया। इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 74. 10 अप्रैल, 2013 का कथित पुरस्कार नहीं है।

(क) पुरस्कार धारक धोखा देने और/या अपराध करने के इरादे से याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी ने 2011 (स्लीपवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड) के C.S.No.196 होने के कारण मुकदमा दायर करने के तथ्य को सक्रिय रूप से छिपा दिया। बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा) 382 अमेरिकी डॉलर में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष और मध्यस्थ के लिए कथित राशि सहित कथित पुरस्कार प्राप्त किया।

न्यायाधिकरण।

जे इंटरनेशनल लिमिटेड। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(ख) पुरस्कार धारक ने याचिकाकर्ता को धोखा देने के इरादे से, उसे पूरा करने के इरादे के बिना एक वादा किया।

(ग) 14 फरवरी, 2011 के अपने पत्र और मेल दोनों के माध्यम से पुरस्कार धारक ने स्वीकार किया कि उसने घटिया गुणवत्ता वाले चावल भेजे हैं और वादा किया कि वह अपने निरीक्षकों को उसके द्वारा भेजे गए घटिया गुणवत्ता वाले चावल के संयुक्त निरीक्षण के लिए बांग्लादेश भेजेगा और पासपोर्ट भेज देगा।

इसके निरीक्षकों को वीजा प्राप्त करने के लिए और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह उनके विनिमय के निर्यात बिल के खिलाफ 90 प्रतिशत भुगतान अस्थायी रूप से स्वीकार करेगा और शेष 10 प्रतिशत का भुगतान पुरस्कार धारक द्वारा आपूर्ति की गई घटिया वस्तुओं के प्रति दावे के संयुक्त निरीक्षण और निपटान के बाद किया जाएगा।

(घ) हालाँकि, जैसे ही याचिकाकर्ता द्वारा 90 प्रतिशत भुगतान जारी किया गया, जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हुई, पुरस्कार धारक ने अपने प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण और दावे को अंतिम रूप देने के लिए भेजने से इनकार कर दिया और कथित रूप से दावा किया कि लोडिंग पोर्ट पर आयोजित निरीक्षण अंतिम था और याचिकाकर्ता को धोखा देने और/या धोखाधड़ी करने के इरादे से विनिमय बिल की शेष 10 प्रतिशत राशि की मांग की।

(च) पुरस्कार धारक ने याचिकाकर्ता को धोखा देने के इरादे से तीन खेपों के तहत कुल देय राशि के 2.22% के संबंध में कथित पुरस्कार प्राप्त किया, सक्रिय रूप से यह छिपाते हुए कि उसने न तो याचिकाकर्ता पर तीनों खेपों के लिए कोई चालान उठाया है और न ही मौजूदा ऋण पत्रों के तहत कोई दावा किया है, जिसके माध्यम से पहले दो खेपों के संबंध में पूरा भुगतान किया गया था और आगे यह कि उसने जहाज एम. वी. तू मैन गैंग के माध्यम से भेजी गई तीसरी खेप के संबंध में शेष 2.22% के लिए कोई विनिमय बिल नहीं उठाया है। (छ) पुरस्कार धारक ने याचिकाकर्ता के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से जी. ए. एफ. टी. ए. को गलत ईमेल पता दिया और उसे सही किया।

इसका ईमेल पता दिनांक 11 जनवरी, 2013 और [2019] 4 एस. सी. आर. द्वारा दिया गया था।

17 दिसंबर, 2012 को अपने मेल द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के समापन के बाद 12 फरवरी, 2013।

(ज) याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी करने के इरादे से पुरस्कार धारक ने एक तथ्य के रूप में सुझाव दिया, जो सच नहीं था और जिसे पुरस्कार धारक सच नहीं मानता था कि शेष राशि (आईडी2) या अमेरिकी डॉलर 10/- प्रति मीट्रिक टन इस आधार पर देय होगी कि "लोडिंग के समय निरीक्षण का प्रमाण पत्र गुणवत्ता के रूप में अंतिम होगा" 7 दिसंबर, 2010 के अनुबंध के परिशिष्ट को दबाकर, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि "अमेरिकी डॉलर 10/- प्रति मीट्रिक टन की दर से शेष राशि गंतव्य बंदरगाह पर गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद देय होगी और इस प्रक्रिया में, पुरस्कार धारक ने अमेरिकी डॉलर 137, (आईडी1) के लिए एक कथित पुरस्कार प्राप्त किया।

(i) याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी करने के इरादे से पुरस्कार धारक ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण से सक्रिय रूप से छिपाया कि

तीसरी खेप के भेजे जाने के संबंध में

जहाज एम. वी. तू मैन गैंग के माध्यम से, उनके चालान की शेष 10 प्रतिशत राशि 382 अमेरिकी डॉलर थी, जिसे निरीक्षण और अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाना था और ऐसा करके, पुरस्कार धारक ने 382 अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए एक कथित पुरस्कार प्राप्त किया। (जे) पुरस्कार धारक याचिकाकर्ता को धोखा देने और याचिकाकर्ता के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से कथित मध्यस्थ न्यायाधिकरण से जानबूझकर दबा दिया गया कि पुरस्कार धारक ने अपने पत्रों में

दिनांक 10 जून, 2011 और 11 जुलाई, 2011 ने अपनी देनदारी स्वीकार की थी और पोत तू मान गैंग पर डिमरेज शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे।

75. परिसर में, कथित पुरस्कार धारक भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में था क्योंकि यह धोखाधड़ी से प्रेरित या प्रभावित था और इसलिए कथित पुरस्कार धारक के प्रवर्तन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और/या इसे अप्रवर्तनीय माना जाना चाहिए। 76. उपरोक्त और/या इसके अतिरिक्त पूर्वाग्रह के बिना, कथित पुरस्कार निम्नलिखित आधारों पर लागू करने योग्य नहीं हैः

जे इंटरनेशनल लिमिटेड। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ए-1 दोनों पक्षों के बीच 25 अक्टूबर, 2010 को हुए अनुबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" लंदन में जी. ए. एफ. टी. ए. 12 के अनुसार जी. ए. एफ. टी. ए. 48 मध्यस्थता के अनुसार अन्य सभी नियम और शर्तें उपरोक्त के विपरीत नहीं हैं।

संगठन

इस अनुबंध या उसके निष्पादन के संबंध में सभी विवादों को दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा। यदि कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, तो विवादग्रस्त मामले को मध्यस्थता के लिए जी. ए. एफ. टी. ए., लंदन के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

चावल के लिए जी. ए. एफ. टी. ए. खंड और यदि कोई हो तो संशोधन और मध्यस्थता नियम 125 "।

जी. ए. एफ. टी. ए. 125 की एक प्रति यहाँ संलग्न है और "00" चिह्नित है।

जी. ए. एफ. टी. ए. No.48 की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और "पी. पी". चिह्नित की गई है।

ए-2। जी. ए. एफ. टी. ए. No.48 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि यह अनुबंध का एक मानक रूप है जिसे विस्तार से भरा जाना है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने जीएएफटीए No.48 में पुरस्कार धारक के साथ किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसमें पार्टियों के बीच जी. ए. एफ. टी. ए. प्रपत्र No.48 के संदर्भ में और/या आधार पर कोई अनुबंध नहीं था।

बी-1। मान लेना लेकिन यह स्वीकार नहीं करना कि जी. ए. एफ. टी. ए. No.48 था लागू, वही लागू नहीं किया जा सकता है यदि इसके विपरीत

25 अक्टूबर, 2010 का समझौता। 7 दिसंबर, 2-010 के परिशिष्ट द्वारा संशोधित समझौते में प्रावधान किया गया है कि ". गंतव्य बंदरगाह की गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 10 अमेरिकी डॉलर प्रति मीटर की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। बी-2। हालांकि, कथित पुरस्कार जी. ए. एफ. टी. ए. No.48 के खंड 5 के आधार पर पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि "लोडिंग के समय निरीक्षण का प्रमाण पत्र गुणवत्ता के रूप में अंतिम होगा"।

बी-3। इसलिए, मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी और इसलिए, उक्त कथित पुरस्कार

लागू करने योग्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी-1। 19 सितंबर, 2011 के एक मेल द्वारा, पुरस्कार धारक ने याचिकाकर्ता को तीन दिनों के भीतर अपना मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए सूचित किया और सूचित किया कि ऐसा करने में विफल रहने पर, वे अनुरोध करेंगे जी. ए. एफ. टी. ए. याचिकाकर्ता की ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। हालांकि, पुरस्कार धारक की ओर से 29 फरवरी, 2012 को श्री बर्दिया ने जी. ए. एफ. टी. ए. को सूचित किया कि उन्होंने

22 सितंबर, 2011 को जी. ए. एफ. टी. ए. से एक कथित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मामले में याचिकाकर्ता की ओर से श्री आर. ईकेल को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया और मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया गया।

No.14-457।

सी-2। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने का समय समाप्त होने वाला था।

22 सितंबर, 2011 को। उसके बाद ही, पुरस्कार धारक एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए जी. ए. एफ. टी. ए. को आवेदन करने का हकदार था। पुरस्कार धारक द्वारा बिना किसी आवेदन के 22 सितंबर, 2011 को जी. ए. एफ. टी. ए. द्वारा श्री आर. एकेल की नियुक्ति अनियमित थी और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं थी। किसी भी मामले में और पुरस्कार धारक के रूप में 19 सितंबर, 2011 के अपने पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को नियुक्त करना चाहते थे

इसके मध्यस्थ ने उससे 3 दिनों के भीतर और 3 दिनों की अवधि की गणना में 19 सितंबर, 2011 को जारी करने की तारीख को बाहर रखा जाना था, किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति, श्री आर. एकेल या अन्यथा, 22 सितंबर, 2011 को जी. ए. एफ. टी. ए. द्वारा नहीं की जा सकी और ऐसी कथित नियुक्ति पक्षकारों के बीच समझौते के विपरीत होने के कारण खराब है और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं है और नहीं हो सकती है।

सी-3। चूँकि याचिकाकर्ता की ओर से मध्यस्थ नहीं था

सहमत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त,

मध्यस्थता न्यायाधिकरण की संरचना पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी और कथित निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है और इसके प्रवर्तन से इनकार किया जाना चाहिए।

डी-1। कथित पुरस्कार में कहा गया है कि -

" 6.20 : न्यायाधिकरण सी. एल. के संबंध में उन खरीदारों को ढूंढता है। जी. ए. एफ. टी. ए. नमूनाकरण नियम No.124 के 6.1 को 5 फरवरी 2011 के उस संदेश के 14 दिन बाद विश्लेषण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया था, इसलिए नवीनतम 20 फरवरी 2011।

6.21 : इसलिए चूक की तारीख एक दिन बाद 21 फरवरी, 2011 होगी और इसलिए हम पाते हैं।

जे इंटरनेशनल लिमिटेड। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

डी-2। जी. ए. एफ. टी. ए. मध्यस्थता नियम प्रदान करते हैं कि एक दावेदार उसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर मध्यस्थता के लिए एक विवाद को संदर्भित करने के अपने इरादे की सूचना दे सकता है। राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, विवाद उत्पन्न होने की तारीख से 60 दिनों के बाद संदर्भ सूचना जारी नहीं की जा सकती है। एक दावेदार समय सीमा समाप्त होने से पहले मध्यस्थता कार्यवाही शुरू कर सकता है या एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

डी-3। मध्यस्थता की सूचना दी गई थी और इसकी ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति पुरस्कार धारक द्वारा दोनों दिनांक 28 जुलाई, 2011 के दो पत्रों द्वारा की गई थी। इसलिए, मध्यस्थता की सूचना और मध्यस्थ की नियुक्ति को प्रत्यक्ष रूप से इसके तहत प्रतिबंधित किया गया था जी. ए. एफ. टी. ए. के मध्यस्थता नियम और/या पक्षों के बीच समझौता।

डी-4। इसके अलावा, जी. ए. एफ. टी. ए. 124 पक्षों के बीच समझौते में कोई जगह नहीं पाता है और तत्काल मामले में पूरी तरह से लागू नहीं होता है।

डी-5। इसलिए, मध्यस्थता प्रक्रिया और मध्यस्थों की नियुक्ति भी पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी

और यह भी लागू कानून के अनुसार नहीं है, और इसलिए, उक्त कथित पुरस्कार प्रवर्तनीय नहीं था।

ई-1 19 सितंबर, 2012 को एक मेल द्वारा, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पुरस्कार धारक को अंतिम तिथि तक अपने आगे के दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

उस तारीख का व्यवसाय। याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। 23 नवंबर, 2012 को एक मेल द्वारा जी. ए. एफ. टी. ए. ने पुरस्कार धारक से अनुरोध किया कि क्या पुरस्कार धारक द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता का पता सही था। 17 दिसंबर, 2012 को एक मेल द्वारा न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता कार्यवाही को बंद कर दिया। 11 जनवरी, 2013 और 12 फरवरी, 2013 के मेल द्वारा पुरस्कार धारक ने याचिकाकर्ता का सही ईमेल पता जी. ए. एफ. टी. ए. को प्रस्तुत किया, अर्थात मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त होने के बाद।

ई-2। इसलिए, याचिकाकर्ता को मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता को मध्यस्थता कार्यवाही के प्रति नोटिस नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता अपना मामला पेश करने में असमर्थ था। परिसर में, कथित पुरस्कार लागू करने योग्य नहीं है। एफ-1। 26 सितंबर, 2012 के जी. ए. एफ. टी. ए. के मेल से यह स्पष्ट है कि जी. ए. एफ. टी. ए. केवल दलीलों के लिए हार्डकॉपी स्वीकार कर सकता है।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. ए. एफ. टी. ए. के 25 सितंबर, 2012 के मेल से ऐसा प्रतीत होता है

दावा प्रस्तुत करने की हार्डकॉपी पुरस्कार धारक द्वारा 24 सितंबर, 2012 को दाखिल की गई थी, हालांकि समय सीमा सितंबर थी

19 , 2012 .

क्रॉस-पुरस्कार धारक द्वारा आपत्ति। मुकदमा अभी भी लंबित है। पुरस्कार धारक ने इस माननीय न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित 28 सितंबर, 2012 के आदेश को चुनौती नहीं दी। दोनों अपीलों और दोनों परस्पर आपत्तियों को खारिज करना। ऐसा नहीं करने के बाद, पुरस्कार धारक ने स्वीकार किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रभाव से की गई टिप्पणियाँ कि "मुकदमे के पक्षों द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मुकदमे के परिणामों के अधीन होगी और उसका पालन करेगी" किसी भी पुरस्कार के प्रवर्तन को प्रभावित करेगी, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया जाएगा।

जी-2। परिसर में, कथित पुरस्कार ने नहीं किया और नहीं कर सका

अंतिमता प्राप्त करें और इसलिए अभी तक प्रवर्तनीय नहीं है।

8. उच्च न्यायालय (निष्पादन न्यायालय) के विद्वान एकल न्यायाधीश को एक बार फिर संबंधित आपत्तियों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता। शुरुआत में, इसने नोट किया है कि इस तरह की चुनौती बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि पहले दौर में आपत्तियों की अस्वीकृति ने इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने के साथ अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था। इसने अभिनिर्धारित किया कि अब ली गई आपत्तियाँ रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों से प्रभावित होंगी। इसके बावजूद, न्यायालय योग्यता के आधार पर आपत्तियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा और राय दी कि वे भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव के दायरे में नहीं आ रही हैं। दूसरी ओर, यह विदेशी पुरस्कारों पर दूसरी बार गौर करने के लिए न्यायालय को आमंत्रित करने का एक प्रयास था।

वह एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड नहीं हो सकता था। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियम की धारा 48 के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों द्वारा बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करते हुए, विदेशी पुरस्कार और घरेलू पुरस्कार की प्रवर्तनीयता के सवाल की जांच करते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बीच अंतर को उजागर करते हुए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा श्री लाल महल लिमिटेड में चित्रित किया गया है। बनाम प्रोजेटो ग्रानो एसपीए 1, रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड। बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 2 और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बनाम। पाइप देखा Ltd.[3]। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को अवसर दिए जाने के बावजूद मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहने और ऐसी कार्यवाही की सूचना होने के कारण, यह शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि प्रतिवादी-पुरस्कार धारक ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं किए। दूसरी ओर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी-पुरस्कार धारक ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/सामग्रियों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष रखा था और विशेष रूप से, क्योंकि पक्षों के बीच बाद के पत्राचार ने बहुत स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि प्रत्यर्थी ने गंतव्य के बंदरगाह पर किसी भी गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के अपने दायित्व से स्पष्ट रूप से इनकार किया था। इसने यह भी नोट किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र था -

इस मुद्दे को किसी न किसी तरह से तय करें और वर्तमान मामले में, उसने ऐसा निर्णय लिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खिलाफ किसी भी धोखाधड़ी या पक्षपात का आरोप नहीं लगाया था। इन से

याचिकाकर्ता की शिकायत, भले ही उसके अंकित मूल्य पर ली गई हो, यह अधिनियम की धारा 48 के तहत हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने तय की गई कानूनी स्थिति और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि विषय विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता के संबंध में याचिकाकर्ता की आपत्तियां योग्यता से रहित थीं और इस प्रकार उन्हें खारिज कर दिया गया।

9. पीड़ित, याचिकाकर्ता ने एक बार फिर तत्काल विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, मोटे तौर पर दोहराते हुए

उच्च न्यायालय के समक्ष आपत्तियाँ की गईं। उस में, विषय विदेशी पुरस्कार धोखाधड़ी से दूषित हो जाते हैं; पुरस्कार की शर्तों के विपरीत हैं

अनुबंध और इस प्रकार अधिनियम की धारा 28 (3) का उल्लंघन; मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक ऐसे मुद्दे पर विचार किया है जिसके संबंध में कोई पूर्व-मौजूदा विवाद नहीं है; मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक नया मामला बनाया है जिसे दावेदार द्वारा दावे के बयान में भी नहीं बनाया गया था; विषय विदेशी पुरस्कार कारण से समर्थित नहीं हैं और उल्लंघन में हैं।

1 (2014) 2 एस. सी. सी. 433

21994 सप. (1) एस. सी. सी. 644 3 (2003) 5 एससीसी 705 [2019] 4 एस. सी. आर.

प्राकृतिक न्याय और भारतीय कानून की मौलिक नीति के उल्लंघन में; और अधिनियम की धारा 48 के तहत आवेदन पर विचार करने वाले निष्पादन न्यायालय ने अपील के प्रथम न्यायालय के रूप में कार्य किया है और सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्तियां ग्रहण की हैं और नए कारणों और तथ्यों की आपूर्ति करके मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रखा है, जो वह आधार नहीं है जिसके आधार पर

विवादित पुरस्कार पारित किए गए हैं।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया, रोक जारी करने और कार्रवाई के कारण के सिद्धांतों से प्रभावित था

न्यायालय तक पहुँचने के प्रयास का संकेत। इसमें, 20 अक्टूबर, 2018 को अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद, प्रतिवादी को विषय विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के संबंध में उच्च न्यायालय में जमा की गई राशि के कुछ हिस्से को वापस लेने की अनुमति देते हुए, याचिकाकर्ता ने 23 अप्रैल, 2018 को अपना नाम एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड से बदलकर श्री कर दिया। मुनिसुव्रत एग्री इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके बाद इसने 26 अप्रैल, 2018 को या उसके आसपास अपने पंजीकृत कार्यालय को हेमंत बसु सरनी से ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट में बदल दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने बिना किसी दंड के दिवाला और दिवालियापन की धारा 10 के तहत याचिका दायर की।

27 अप्रैल, 2018 को एन. सी. एल. टी., कोलकाता के समक्ष संहिता, 2016 ताकि प्रतिवादी को वर्तमान याचिकाओं में सफल होने की स्थिति में कोई और राशि जारी करने के खिलाफ स्थगन का आह्वान किया जा सके। जिस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता ने एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही का आह्वान किया, वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर याचिका में किए गए कथनों से स्पष्ट है, जिसमें दावा किया गया है कि निगमित दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का उद्देश्य उत्तरदाताओं को ऋण प्राप्त करने से रोकना था। आय होती है। इन सभी घटनाक्रमों को प्रतिवादी द्वारा अभिलेख पर लाया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं इसका खुलासा नहीं किया गया था, जो वह कानून में करने के लिए बाध्य था। केवल इसी कारण से, प्रत्यर्थी का तर्क है कि याचिकाकर्ता को कोई अनुग्रह नहीं दिखाया जाना चाहिए।

11. गुण-दोष पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधार अधिनियम की धारा 48 के दायरे में नहीं आएंगे, जो बहुत संकीर्ण है और इसके लिए न्यायालय को विदेशी पुरस्कारों पर दूसरी बार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी कानून (यूके मध्यस्थता अधिनियम, 1996) द्वारा शासित विदेशी पुरस्कार के खिलाफ दायर की जाने वाली अपील में याचिकाकर्ता द्वारा आधारों का आग्रह किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड को अनुमति दी है।

वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अंतिमता प्राप्त करने के लिए उक्त पुरस्कार ऐसी अपील दायर करने में विफल रहे हैं। यहां तक कि इस आरोप के आधार पर धोखाधड़ी का तर्क कि प्रतिवादी पुरस्कार धारक द्वारा संबंधित दस्तावेजों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था, आधारहीन है और केवल एक छल है।

देय राशि की वसूली को आगे बढ़ाना। इसमें, प्रत्यर्थी ने 3 जून, 2011 को प्रत्यर्थी बैंक से याचिकाकर्ता बैंक को भेजा गया एक त्वरित संदेश प्रस्तुत किया था और बाद में पक्षों के बीच पत्राचार किया था, जिसके लिए मामले का निर्णय लेते समय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भ दिया गया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रत्यर्थी ने धोखाधड़ी के माध्यम से मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से पक्षों के बीच बताए गए पत्राचार को छुपाया। द्वारा लिया गया विशिष्ट आधार

निष्पादन न्यायालय को उस पुरस्कार पर दूसरी बार गौर करने के लिए आमंत्रित करने की प्रकृति जो अधिनियम की धारा 48 का दायरा नहीं है। प्रत्यर्थी ने शासी कानूनों के अनुरूप तिमाही विश्राम पर गणना की गई 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देने के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किए गए आधार का भी खंडन किया है। द. प्रत्यर्थी ने श्री लाल महल लिमिटेड (ऊपर) और रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के कथन पर भी भरोसा किया है। प्रत्यर्थी ने घरेलू पुरस्कारों में हस्तक्षेप के दायरे पर याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों को इसकी प्रवर्तनीयता के आधार पर भी अलग किया हैः

वर्तमान मामलों में विदेशी पुरस्कारों का विरोध। प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है कि इन याचिकाओं को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज कर दिया जाए और ऐसा करते समय, कलकत्ता में उच्च न्यायालय के पंजीयक (ओएस) को लगभग 2 करोड़ रुपये की एफ. डी. को तुरंत भुनाने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रमशः 5 जनवरी, 2018,5 मार्च, 2018 और 20 अप्रैल, 2018 के आदेशों के अनुसार, दोनों निष्पादन मामलों के क्रेडिट में और अमेरिकी डॉलर में उपार्जित ब्याज सहित पूरी प्राप्तियों को तुरंत प्रत्यर्थी को प्रेषित करें। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के खिलाफ घाटे की राशि हासिल करने के लिए निर्देश भी मांगता है, जो एफ. डी., [2019] 4 एस. सी. आर. के तहत राशि के विनियोग के बाद बनी रहेगी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पंजीयक (ओएस) के साथ झूठ बोलना। प्रत्यर्थी तर्क देगा कि इस तरह का निर्देश विशिष्ट तथ्यों में आवश्यक है

वर्तमान मामला और स्थगन के कारण किसी भी जटिलता को दूर करने के लिए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की है।

12. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ए. के. सिन्हा और वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है।

और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका सहित। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पहले के अवसर पर, आपत्तियां निष्पादन मामले की स्थिरता के प्रश्नों तक सीमित थीं, जैसा कि प्रासंगिक समय पर आग्रह किया गया था, न कि प्रवर्तन क्षमता के संदर्भ में। विदेशी पुरस्कार जैसे विषय। यह तर्क, कम से कम कहने के लिए, बाल-विभाजन में लिप्त होने का एक प्रयास है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह हताशा में केवल विदेशी पुरस्कार के निष्पादन को रोकने के लिए एक तर्क है।

असमर्थनीय आधार। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने निष्पादन मामले की स्थिरता के मुद्दे को उठाने के लिए कोई औपचारिक आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन

अदालत ने याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से "सभी उपलब्ध आधारों" का आग्रह करने की अनुमति दी थी। विद्वान न्यायाधीश ने तब पाँच बिंदुओं को पुनः प्रस्तुत किया था, जो केवल

याचिकाकर्ता की ओर से उसके वकील के माध्यम से मौखिक रूप से आग्रह किया गया था, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 4 में निकाला गया है। उच्च न्यायालय ने उक्त आधारों की जांच की, जो स्पष्ट रूप से विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के दायरे से परे थे। इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 48 के दायरे के संदर्भ में कानून के प्रश्नों और आधारों को भी स्पष्ट किया था जिसमें विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता शामिल थी। इसे पिछले एस. एल. पी. में प्रश्नों और आधारों के बारीकी से पढ़ने से समझा जा सकता है, जिसे ऊपर पैराग्राफ 5 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश तिथि 17 मार्च, 2015 के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया था कि विषय विदेशी पुरस्कारों को फरमान माना जाता था, जो यह मानता है कि वे लागू करने योग्य थे। एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड का निपटारा करते हुए डिवीजन बेंच ने उस आदेश को बरकरार रखा।

वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

याचिकाकर्ता द्वारा पसंद की गई अपीलें। ये आदेश अंतिम हो गए हैं और याचिकाकर्ता द्वारा इन्हें चुनौती नहीं दी गई है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने असफल रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा के उपाय का सहारा लिया। यहां तक कि पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश भी अंतिम हो गया है।

14. जो भी हो, याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादन मामले की स्थिरता के संबंध में पहले दौर में आग्रह किए गए आधार

अलगाव में विचार नहीं किया गया है और डी हॉर्स का मुद्दा विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता। क्योंकि ऐसा ही था

आंतरिक रूप से विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के सवाल से जुड़ा हुआ है। किसी भी मामले में, उस संबंध में याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध सभी दलीलों को विशेष रूप से उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था और यदि उठाया जाता, तो उस स्तर पर ही न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती थी। हमारी सुविचारित राय है कि अधिनियम की धारा 48 की योजना में विदेशी पुरस्कारों से संबंधित निष्पादन मामले की स्थिरता के मुद्दे पर, और फिर उसकी प्रवर्तनीयता के मुद्दे पर, टुकड़ों में विचार करने की परिकल्पना नहीं की गई है। जबकि, मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटान के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए और

अदालतों द्वारा सीमित हस्तक्षेप, अदालत से उम्मीद की जाती है कि वह इन दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार करे। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से एक के बाद एक और कई दौर को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के लिए कार्यवाही। हम विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से निपटने के दौरान विशेष रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के घोषित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। के लिए, हस्तक्षेप का दायरा जानबूझकर के संबंध में विधायिका द्वारा संकुचित किया गया है

विदेशी पुरस्कारों का निष्पादन। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर विषय आवेदन खारिज किए जाने के योग्य है, जिसे रचनात्मक न्यायपालिका द्वारा वर्जित किया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में उचित रूप से देखा गया है।

15. एक अतिरिक्त कारण है जो हमें याचिकाकर्ता को कोई भी अनुग्रह दिखाने के लिए मना करता है। हम प्रत्यर्थी द्वारा की गई शिकायत में बल पाते हैं कि याचिकाकर्ता का आचरण इस न्यायालय तक पहुँचने के प्रयास का संकेत है। क्योंकि, प्रतिवादी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित होने के बाद, जमा की गई राशि के कुछ हिस्से को निकालने की अनुमति देने के बाद, याचिकाकर्ता ने 23 अप्रैल, 2018 को तीन दिनों के भीतर कंपनी का नाम बदलने में कोई समय नहीं गंवाया। याचिकाकर्ता ने 26 अप्रैल, 2018 को अपने पंजीकृत कार्यालय का पता भी बदल दिया और प्रतिवादी [2019] 4 एस. सी. आर. को रोकने के लिए 27 अप्रैल, 2018 को एन. सी. एल. टी., कोलकाता को स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं थी।

विषय पुरस्कारों के फल का आनंद लेने से, और आई एंड बी कोड की धारा 10 के तहत दायर याचिका में इतनी बेशर्मी से कहना। आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिवादी द्वारा एक औपचारिक आवेदन दायर करके इन तथ्यों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था। याचिकाकर्ता ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, बहुत कम प्रशंसनीय। इस मामले में भी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं।

16. यह कहने के बाद, हम याचिकाकर्ता के किसी अन्य तर्क की जांच नहीं करना चाहते हैं, जिसमें प्रवर्तन की योग्यता के गुण-दोष भी शामिल हैं।

विषय विदेशी पुरस्कार। अगर हम ऐसा भी करते, तो भी हम उच्च न्यायालय से सहमत होते कि याचिकाकर्ता द्वारा विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता पर सवाल उठाने के लिए आग्रह किए गए आधार असमर्थनीय हैं, जो अधिनियम की धारा 48 के दायरे में नहीं हैं। चाहे जो भी हो, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने आधार के हर पहलू पर विचार किया है याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया; और उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए प्रत्येक बिंदु के संदर्भ में इस प्रकार व्यक्त किया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों के मामले में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश को सही ढंग से नोट किया है। उच्च न्यायालय ने न्यायसंगत रूप से नोट किया है कि याचिकाकर्ता का प्रयास निष्पादन अदालत से पुरस्कार पर फिर से विचार करने का आह्वान करना था। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम उच्च न्यायालय से भी सहमत होंगे कि सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी के दावे को पुष्ट करने के लिए, निर्णय में कहा गया है और निर्णय में प्राप्त निष्कर्ष उक्त दस्तावेजों को दी गई व्याख्या और अर्थ पर आधारित हैं। इसे विचाराधीन निर्णय में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज की गई चर्चा और निष्कर्षों से समझा जा सकता है। इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 6. चर्चा और निष्कर्ष

6.1 हमारे निर्धारण के लिए प्रस्तुत किए गए विवादित मुद्दे सबसे पहले तीन अलग-अलग पहलुओं से संबंधित हैं, यह सवाल कि क्या अनुबंध की गुणवत्ता विक्रेताओं द्वारा वितरित की गई थी और खरीदारों द्वारा प्राप्त की गई थी। दूसरा, संतुलन की बात पूरी तरह से

संविदात्मक मात्रा और तीसरा, और बाद में पहले दो मुद्दों के लिए, चालान का भुगतान।

6.2 चूंकि प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुतियों के दौर में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, इसलिए न्यायाधिकरण अपनी चर्चा और बाद में अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने और दायर किए गए साक्ष्य पर आधारित करने के लिए बाध्य है।

केवल दावेदारों द्वारा।

जे इंटरनेशनल लिमिटेड। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

6.3 पहले मुद्दे पर एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में, क्या संविदात्मक

गुणवत्ता विक्रेताओं द्वारा वितरित की गई थी और खरीदारों द्वारा प्राप्त की गई थी,

न्यायाधिकरण शासी अनुबंध के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करता है

और, जहाँ तक प्रासंगिक हो, इसके संशोधनों के लिए।

6.4 पक्षों के बीच सहमत अनुबंध बिक्री के लिए था और

15000 मीट्रिक टन थाई गैर-बासमती परबोइल्ड की खरीद

एफ. ओ. बी. बैंकॉक शर्तों पर चावल।

6.5 . गुणवत्ता खंड के तहत उसके संदर्भ में प्रदान किया गया अनुबंध

वहः

(अधिकतम) टूटा हुआ। 2009-2010 थाईलैंड मूल का नवीनतम क्लॉप अच्छी स्थिति, 'बिना किसी अप्रिय के मानव उपभोग के लिए उपयुक्त'

गंध, किसी भी संकेत या सांचे, किण्वन या गिरावट से मुक्त

और अप्रिय और हानिकारक और जहरीले मामलों से मुक्त

खरपतवार के बीज। चावल कीट संक्रमण से मुक्त होना चाहिए और

निम्नलिखित विनिर्देश है "।

i) आर्द्रता (अधिकतम): 13 पीसीटी

(ii) टूटे हुए अनाज (अधिकतम): 15 पी. सी. टी. (चावल का आकार 3/4 और

नीचे दिए गए हिस्से को टूटा हुआ और 1/4 से कम टूटा हुआ माना जाएगा।

2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

iii) विदेशी सामग्री (अधिकतम): 0.3 प्रतिशत

(iv) मृत, क्षतिग्रस्त और विकृत अनाज

3 कुल में प्रतिशत

(अधिकतम):

(iv) रेडियो गतिविधि (अधिकतम): 50 डीओ/किजी 01 737 एससी/134 सीएस (सार्क और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश की फसल के लिए आरामदायक)

6.6 इस विवाद की प्रासंगिकता में और विचाराधीन

अनुबंध के गुणवत्ता खंड में 7 तारीख को संशोधन किया गया था। दिसंबर 2010 और परिवर्तित किया गयाः

2. विशिष्टताएँः खंड II-17 पी. सी. टी. अधिकतम 1/0 15 में संशोधित किया जाएगा

पी. सी. खंड IV-6 पी. सी. टी. में संशोधित किया जाएगा। अधिकतम I/0 3 Pct in

कुल।

अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। "[2019] 4 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 दावेदारों द्वारा तीन आंशिक शिपमेंट किए गए थे।

निम्नलिखित हैः

1, 610.00 27 दिसंबर को एम. वी. स्टर्डी फाल्कन पर एम. टी.

2010

3, 430.00 31 दिसंबर को एम. वी. जीनियस मेरिनर पर एम. टी.

2010

8, 689.55 17 जनवरी को एम. वी. तुमान गैंग (एस. आई. सी.) पर एम. टी.

2011

8 इसके बाद, 133,729.55 मीट्रिक टन वितरित किए गए थे।

खरीदारों और विक्रेताओं को प्रत्येक माल के लिए प्रदान किए गए विक्रेता

अनुबंध के तहत विभिन्न दस्तावेज, जिनमें तथाकथित "पी" शामिल हैं।

एस. जी. एस. द्वारा जारी शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र "निम्नानुसार भुगतान खंड, फिर भी अनुबंध में संशोधन द्वारा बदला गया

दिनांक 7 दिसंबर 2010 को "आई. एस. सी". द्वारा अब जारी किया गया है।

वे पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र वास्तव में इससू थे।

आई. एस. सी. द्वारा निम्नलिखित विश्लेषण प्रदर्शित करने वाले तीनों शिपमेंटों के लिए

परिणामः

प्रमाण पत्र No.11000 (2) 22010/4 दिनांक 27 दिसंबर 20

एम. वी. स्टर्डी फाल्कन

12.80 %

मोज़िटरः

15.00 %

कुल टूटे हुए गुच्छेः

0.59 %

छोटा टूटा हुआः

मृत, क्षतिग्रस्त और विकृत गुठलीः 3.00 %

विदेशी बात।

0.07 %

प्रमाण पत्र No.11038/2010/4 दिनांक 31 दिसंबर 2010 एम. वी. जीनियस मैनर

12.80 %

मोज़िटरः

12.60 %

कुल टूटे हुए गुच्छेः

0.46 %

छोटा टूटा हुआः

मृत, क्षतिग्रस्त और विकृत गुठलीः 3.00 %

विदेशी बात।

0.16 % इंटरनेशनल लिमिटेड। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

एम. वी. के लिए प्रमाण पत्र No.11039/2010/2 दिनांक 17 जनवरी 2011

तू मैन गैंग

12.80 %

मोज़िटरः

14.79 %

कुल टूटे हुए गुच्छेः

0.23 %

छोटा टूटा हुआः

मृत, क्षतिग्रस्त और विकृत गुठलीः 3.00 %

विदेशी बात।

0.29 %

0 यदि हम 7 दिसंबर 2010 के अनुबंध में संशोधन द्वारा परिकल्पित परिवर्तनों की अवहेलना करते हैं, तो

"टूटे हुए अनाज" अंत के लिए उच्च स्तर "मृत, क्षतिग्रस्त और

के तहत गुणवत्ता के लिए अनुमानित मापदंडों के भीतर अनुबंध।

1 इसलिए न्यायाधिकरण माल की गुणवत्ता का पता लगाता है

तीन जहाजों पर भेजा गया संशोधित के भीतर था संविदात्मक विनिर्देश।

2. उपरोक्त के अलावा, प्रावधान डी. आई. गुणवत्ता खंड

5 जी. ए. एफ. टी. ए. अनुबंध No.48, टेल योग्यता अनुबंध के रूप में

इस प्रकार, अन्य बातों के साथ कहते हैंः

" लोडिंग के समय निरीक्षण का प्रमाण पत्र अंतिम होगा

गुणवत्ता के लिए "।

3 नतीजतन, और भुगतान अवधि के विचाराधीन

भुगतान के लिए अनुबंध

" आई. एस. सी. द्वारा जारी और विक्रेताओं द्वारा प्रदान किए गए उपरोक्त पूर्व-प्रेषण प्रमाणपत्रों के साथ-साथ 'प्रेषण दस्तावेजों' की प्राप्ति पर, विक्रेता शुल्क के तहत भुगतान शुरू करने के हकदार थे।

अनुबंध।

4 हम अब पता लगाएँ कि भुगतान के लिए विक्रेताओं का दावा

आई. जे. एस. डी. 440.00 प्रति मीट्रिक टन तीनों आंशिक शिपमेंट

सफल होता है।

5 अमेरिकी डॉलर 10.00 प्रति मीट्रिक टन के संतुलन के संदर्भ में

प्रत्येक आंशिक माल के लिए, जैसा कि संशोधन के तहत सहमति हुई है

दिनांक 7 दिसंबर 2010 के संशोधन में प्रावधान किया गया है कि [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" गंतव्य बंदरगाह की गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रति मीट्रिक टन यू. एस. डॉलर 10.00 की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

6 यह वास्तव में मूल प्रावधान में एक बदलाव स्थापित करता है।

अनुबंध का कि लोडिंग के बंदरगाह पर गुणवत्ता अंतिम होगी, कम से कम जहां तक प्रति मीट्रिक टन यू. एस. डी. 10.00 की शेष राशि का संबंध है। अनुबंध की व्याख्या और निर्माण और 7 दिसंबर 2010 को इसके संशोधन पर,

न्यायाधिकरण ने नोट किया कि संशोधन स्वयं में परिभाषित करता है

मात्रा "कि अनुबंध के अनुसार वजन अभी भी" लोडिंग के समय अंतिम "होगा जबकि संशोधित भुगतान

अब शब्द में कहा गया है कि "प्रति मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर 10.00 की शेष राशि केवल" गुणवत्ता निरीक्षण की प्राप्ति के बाद देय होगी।

गंतव्य बंदरगाह की रिपोर्ट "।

7 हमे तब पता चला कि अनुबंध किया गया था

वैध रूप से इस प्रावधान में परिवर्तन किया गया कि विक्रेता गंतव्य के बंदरगाह, यानी बांग्लादेश से गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही प्रति मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर 10.00 के शेष राशि का भुगतान शुरू कर सकते थे।

8 चूंकि विक्रेताओं से विभिन्न अनुस्मारकों के बावजूद खरीदारों द्वारा ऐसा कोई गुणवत्ता निरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया था, आज तक, जी. ए. एफ. टी. ए. नमूना नियम No.124, सी. एल. 6 : 1 प्रदान करें कि ए

" नमूनों को भेजने के बाद "लगातार 14 दिनों के भीतर" दूसरे पक्ष को विश्लेषण का प्रमाण पत्र भेजा जाना चाहिए।

विश्लेषक।

9 खरीदारों ने 5 फरवरी 2011 के अपने संदेश में सबसे पहले बताया कि अंतिम पोत यानी एम. वी. टी. यू. मैन पर माल की गुणवत्ता

गैंग, हीन था।

20 इसलिए न्यायाधिकरण ने पाया कि खरीदार, न्यायाधिकरण के संबंध में, सी. एल. के संबंध में यह पाते हैं। 6 : 1 में से

जी. ए. एफ. टी. ए. नमूना नियम No.124 एक प्रदान करने के लिए बाध्य थे 5 फरवरी के उस संदेश के बाद के विश्लेषण का प्रमाण पत्र

2011 इसलिए नवीनतम 20 फरवरी 2011।

21. इसलिए चूक की तारीख एक दिन बाद, 21 तारीख होगी।

फरवरी 2011 और इसलिए हम पाते हैं।

इंटरनेशनल लिमिटेड। वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

22 चूंकि खरीदार 14 दिनों की इस सीमा के भीतर प्रमाण पत्र को अग्रेषित करने में विफल रहे, इसलिए अस्वीकृति या भत्ते के लिए कोई भी दावा

अनुबंध के तहत निपटाए गए किसी भी मामले में, और संशोधन। माफ किया गया माना जाएगा और पूरी तरह से

वर्जित, और इसलिए हम पाते हैं।

23 न्यायाधिकरण ने पाया कि विक्रेता प्रति मीट्रिक 10,00 अमेरिकी डॉलर के शेष चालान के भुगतान के लिए दावा करते हैं

टन सफल होता है।

24 जहां तक अनुबंध के तहत शिपमेंट की मात्रा का संबंध है, कोई स्पष्ट विवाद नहीं है क्योंकि 15000 मीट्रिक टन के शिपमेंट के लिए प्रदान किया गया अनुबंध, खरीदारों के विकल्प में +-5 प्रतिशत और विक्रेताओं ने केवल 13,729.55 मीट्रिक टन भेजे।25 फिर भी खरीदारों ने विक्रेताओं को 5 फरवरी 2011 को सूचित किया कि अनुबंध के तहत भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित मूल ऋण पत्र को बढ़ाया नहीं जाएगा और इसलिए खरीदारों ने 2000 टन की शेष राशि के लिए नए एल. सी. स्थापित करने की योजना बनाई।

पुराना अनुबंध "।

26 न्यायाधिकरण ने इस उद्देश्य के लिए कोई नया ऋण पत्र नहीं देखा है और चूंकि खरीदारों ने ऐसा दायर नहीं किया है, इसलिए अनुबंध समाप्त हो गया है।27 इसलिए हमें पता चला कि विक्रेताओं की राशि और देय ब्याज की गणना 13 की मात्रा पर आधारित होनी चाहिए, 729.55

मीट्रिक टन।

28 हम यह पाते हैं और घोषित करते हैंः

प्रति मीट्रिक अमेरिकी डॉलर 10.00 शेष राशि के भुगतान के लिए विक्रेताओं का दावा

तीन शिपमेंटों में से प्रत्येक के लिए अमेरिकी डॉलर की राशि

137, 148.20 सफल होता है। ब्याज 29 जून 2011 से चलेगा। खरीदारों के ईमेल की तारीख जिसमें कहा गया है कि वे बाध्य नहीं होंगे

और/या विक्रेताओं को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी।

एम. वी. तुमान गैंग के जहाज पर 382 अमेरिकी डॉलर के शिपमेंट के संदर्भ में चालान से काटे गए शेष राशि के लिए विक्रेताओं का दावा सफल हो जाता है। से भागने की रुचि

20 फरवरी 2011, वह तिथि जिसके द्वारा खरीदारों को 'गंतव्य बंदरगाह पर गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट' प्रदान करनी चाहिए थी।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खरीदार 137 अमेरिकी डॉलर की उपरोक्त राशि पर 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करेंगे।

29 जून, 2011 से लेकर 29 जून, 2011 की तारीख तक तिमाही विश्राम पर गणना की गई

भुगतान करें।

7.2 खरीदार विक्रेताओं को तुरंत 382 अमेरिकी डॉलर, 348.90 (तीन सौ अस्सी-दो हजार, तीन सौ अड़तालीस) का भुगतान करेंगे।

संयुक्त राज्य डॉलर और नब्बे सेंट)।

खरीदार, विक्रेताओं को 20 फरवरी 2011 से भुगतान की तारीख तक तिमाही विश्राम पर गणना की गई 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से 332 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे।

7.3 हम इसलिए यह पुरस्कार देते हैं कि खरीदार इस मध्यस्थता के शुल्क, लागत और खर्च का भुगतान संलग्न नियमों के अनुसार करेंगे।

अनुसूची "।

17. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और भले ही उसने कोई त्रुटि की हो,

वही, अधिक से अधिक, अंग्रेजी कानून के तहत अनुमेय आधारों पर अपील के माध्यम से सुधार का मामला हो सकता है, जिसके द्वारा विषय मध्यस्थता कार्यवाही शासित होती है। हो सकता है कि हमने उन मुद्दों की शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं की हो।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन विशेष अवकाश याचिकाओं को अनुकरणीय लागतों के साथ छूट दी जाती है, जिनकी कुल राशि

Rs.20,00,000/- (केवल बीस लाख रुपये)। लागत की राशि का भुगतान आज से छह सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को किया जाना चाहिए।

19. यद्यपि हम विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर रहे हैं, हम प्रत्यर्थी के अनुरोध को स्वीकार करते हैं कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के पंजीयक (ओएस) को संबंधित वर्णित निष्पादन मामले के क्रेडिट में जमा की गई एफ. डी. को तुरंत भुनाने का निर्देश देने के लिए एक विशिष्ट आदेश पारित करे और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने के बाद, अमेरिकी डॉलर में अर्जित ब्याज सहित पूरी राशि प्रत्यर्थी को तुरंत भेज दे। वह आज से आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त निर्देशों का पालन एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

वी. स्लीपवेल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारत में किसी भी अन्य न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश की परवाह किए बिना, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पंजीयक (ओएस) द्वारा। हमें वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में इस तरह के निर्देश पारित करने की आवश्यकता है। दिव्या पांडे